प्रकरण संख्या 8/2025 बउनवान केराराम बनाम तहसीलदार रोहट

13.05.25 पत्रावली पेश हुई।

अधि. प्रार्थी ने बहस हेतु समय चाहा
जो न्यायहित में दिया जाकर पत्रावली दि. 27.05.25
को पेश हो। साथ ही अधि. प्रार्थी ने फुटकर
दस्तावेज पेश किये जो शा. मि. हो।

जिला कलेक्टर, पाली

27/05/25 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थीगण उप.।
प्रकरण में अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा आज
माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के S.B. Civil writ
Petition no. 5346/2025 के आदेश दिनांक 13/05/25
की अप्रमाणित प्रति पेश की। माननीय न्यायालय द्वारा
अपने उक्त आदेश दिनांक 13.05.2025 में उक्त प्रकरण
के संदर्भ में अपने निर्णय के अनुच्छेद संख्या/पद संख्या
7 & 8 में जिला कलक्टर एवं तहसीलदार को निर्देश
देते हुए उक्त प्रकरण का निष्पादन कर दिया है। माननीय
न्यायालय के उक्त निर्देश के बाद न्यायालयों के अनुवर्ती
क्षेत्राधिकार (Subsequent Jurisdiction) के आधार पर
और प्रकरण को अब न्यायालय हाजा में चलाये जाने की
कोई उपादेयता नहीं है। साथ ही न्यायालय शाखा द्वारा
उक्त निर्णय की प्रति राजस्व शाखा को भेजकर माननीय
उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13/05/25
में प्रदत्त निर्देशों के क्रम में ~~वि~~ क्रमवार विहित अवधि
में ~~कार्य~~ कार्यवाही करने हेतु लिखा जावे। इसी के साथ
और प्रकरण का निष्पादन माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर
के आदेश दिनांक 13/05/2025 के क्रम में किया जाता है।
पत्रावली फैसल शुमार होकर इस न्यायालय के नम्बर
से कम हो।

जिला कलेक्टर, पाली